नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरा प्लाट संख्या 66/130 सेक्टर 6 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जारी डिक्लेरेशन क्रमांक नंबर 1828 है जो की कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें मोबाइल नंबर-9001184892

मेरा मकान नं.180/215 प्रताप नगर, सांगानेर का मूल कब्जा पत्र (डिक्लेरेशन) कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें- अंजु सिंघल 9351383872

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मार्कशीट में पूजा कुमारी मिश्रा था अब मैंने अपना नाम बदलकर पूजा रखा है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाएगा। मेरा वर्तमान पता प्लॉट नंबर 45 नंदगांव कॉलोनी नाथजी की थडी निवारू रोड झोटवाड़ा जयपुर 302012

मैं आर्मी न. JC 473603 1M नायब सुबेदार महावीर सिंह युनिट 17 राजरिफ सवाईमान है मेरे सैन्य दस्तावेजो में मेरी मदर का नाम RISHAL KANWAR है जो की गलत है। मेरी मदर का सही नाम RASAL KANWAR है

मैंने अपना नाम देव कुमार धाभाई से बदलकर देव धाभाई रख लिया है। भविष्य में देव धाभाई पुत्र श्री अशोक धाभाई से जाना पहचाना जावे। निवासी 149, देवी नगर, न्यू सांगानेर, गुर्जर की थड़ी, जयपुर राजस्थान

I no 3195797K Ex SEP Jagdish Prasad sevda S/O kana Ram sevda resident off village post mundoti teh kishangarh renwal district jaipur that have changed my daughters name from NIKITA (DOB 24 nov 2003) is wrong entered in my service record To NIKITA SEVDA (DOB 25 nov 2004) & PRIYANKA (DOB 11 July 2006) is wrong entered my service record TO NISHITA SEVDA (DOB 11 Jun 2006) vide affidavit dated 21 April 2025 before district notary kishangarh renwal jaipur

I, ASHISH ARYA S/O JEEWAN CHANDRA Solemnly Declare that I have Changed my Name from ASHISH KUMAR ARYA to ASHISH ARYA R/o 292, AMAR NAGAR-C, SIRSI ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN 302021. For all future Purpose

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय श्रीमान पारिवारिक न्यायाधीश क्रम-5 जयपुर महानगर
रितु गोयल विरूद्ध सौरभ गोयल
वाद/प्रार्थना पत्र 13C AJHMA 13(A)HMA
प्रार्थना पत्र संख्या 148/24 सन्

नाम सौरभ गोयल पुत्र श्री मोहन लाल जाति महाजन पता 103 कृष्ण कृपा-1, सुभाष नगर जयपुर राज. 302016

उक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न नहीं है।

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 2 माह 5 सन् 2025 को 7.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज दिनांक 28 माह 3 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर अदालत
पारिवारिक न्यायालय क्रम-5 जयपुर महानगर प्रथम

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमती तान्या गुप्ता रूपेनवार पत्नी स्वर्गीय श्री आशीष मोहन रूपेनवार, निवासी फ्लेट नम्बर 202, श्री श्याम रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 14-15, वैशाली एलिगेन्स, गांधी पथ वेस्ट, लालरपुरा रोड, वैशाली नगर, जयपुर-302021 (राज.) स्वयं के पति श्री आशीष मोहन रूपेनवार पुत्र स्व. श्री एस. एम. रूपेनवार के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आवासीय यूनिट/फ्लेट नम्बर 202, फर्स्ट फ्लोर, श्री श्याम रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 14-15, वैशाली एलीगेन्स, ग्राम लालरपुरा, गांधीपथ पश्चिम, जयपुर (राज.) जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 872 वर्गफीट अर्थात 81 वर्गमीटर है जो कि निर्मित अवस्था मे है तथा जिसे मेरी मुवक्किल के पति श्री आशीष मोहन रूपेनवार पुत्र स्व. श्री एस. एम. रूपेनवार उर्फ श्री शशि मोहन रूपेनवार ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) मे बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था जिसके ऋण खाते क्रमश (1) ऋण खाता संख्या 621853628 (2) ऋण खाता संख्या 631025172 (3) ऋण खाता संख्या 631257647 तथा (4) ऋण खाता संख्या 631257805 है, उक्त श्री आशीष मोहन रूपेनवार पुत्र स्व. श्री एस. एम. रूपेनवार का स्वर्गवास 04.09.2024 को हो चुका है तथा उनकी माताजी श्रीमती राजेश रूपेनवार पत्नी स्वर्गीय श्री शशि मोहन रूपेनवार का स्वर्गवास दिनांक 20.09.2021 को हो चुका है, श्री आशीष मोहन रूपेनवार पुत्र स्व. श्री एस. एम. रूपेनवार उर्फ श्री शशि मोहन रूपेनवार के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान मे श्रीमती तान्या गुप्ता रूपेनवार पत्नी स्वर्गीय श्री आशीष मोहन रूपेनवार तथा एकमात्र पुत्री अक्षाईनी (जो कि अवयस्क है) पुत्री स्व. श्री आशीष मोहन रूपेनवार है, इनके अलावा स्वर्गीय श्री आशीष मोहन रूपेनवार पुत्र स्व. श्री एस. एम. रूपेनवार उर्फ श्री शशि मोहन रूपेनवार का कोई विधिक उत्तराधिकारी अथवा वारिसान नही है, चूंकि मेरी मुवक्किल के पति श्री आशीष मोहन रूपेनवार पुत्र स्व. श्री एस. एम. रूपेनवार उर्फ श्री शशि मोहन रूपेनवार के द्वारा लिए गए समस्त ऋण की अदायगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) को की जा चुकी है इसलिए मेरी मुवक्किल स्वयं के पति श्री आशीष मोहन रूपेनवार पुत्र स्व. श्री एस. एम. रूपेनवार उर्फ श्री शशि मोहन रूपेनवार के स्वामित्व की उक्त अचल सम्पत्ति के समस्त मूल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) सी-25, भगवान दास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राज.) से प्राप्त करना चाहती है, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करे, अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति मान्य नही होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरुद्ध शून्य व ब्रेअसर मानी जावेगी।

जयपुर (श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट
दिनांक-21.04.2025 मोबाईल 9829218044

बदलाव से ही समाज का विकास संभव : धनकड

शाहपुरा ।शाहपुरा त्रिवेणी धाम स्थित श्री धन्ना भगत जाट धर्मशाला में बुधवार को धन्ना भगत जन्मोत्सव पर भामाशाह व समाज सुधार प्रेरक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 51हजार व इससे अधिक की राशि का सहयोग देने वाले 51भामाशाहों का तथा बिना दहेज के 1 लेकर शादी करने वाले 41 समाज प्रेरकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम

- कार्यक्रम में 51हजार व इससे अधिक की राशि का सहयोग देने वाले 51भामाशाहों का तथा बिना दहेज के 1 लेकर शादी करने वाले 41 समाज प्रेरकों का सम्मान

के मुख्य अतिथि विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ थे। अध्यक्षता धर्मशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष नरसिंह लाल कपूरिया ने की। विशिष्ट अतिथि जयपुर ग्रामीण कांग्रेस सांसद प्रत्याशी अनिल चोपड़ा, नगरिया स्क्वायर शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पुत्र अजय सिंह खरा थे। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि बिना दहेज के 1 लेकर जिन परिवारों ने शादी कर समाज सुधार की दिशा में नई मिशाल पेश की है। जिसका सभी को अनुसरण करना चाहिए। इस दौरान म्हारखुर्द सरपंच रामस्वरूप घोसल्या ने धर्मशाला का मुख्य द्वार बनवाने की घोषणा की जिसकी अनुमानित लागत 15 लाख रुपए होगी। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस सांसद प्रत्याशी चोपड़ा ने 1 लाख, पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रेम देवी जाट ने 51हजार व 11 हजार नगद देकर ट्रस्ट की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। कार्यकम में एयू बैंक के राजस्थान सर्किल हेड सुल्तान सिंह पलसानिया व पूर्व जिला पार्षद महेंद्र चौधरी द्वारा 60 कुर्सियां, राजकुमार बड़बड़वाल द्वारा पांच बड़े कूलर भेंट करने पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन रिछपाल कलवानिया ने किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व में घोषित कुरीतियों को त्यागने के लिए समाज के 138 समाज सुधारक लोगों ने संकल्प पत्र भरे। कार्यक्रम में ट्रस्ट के सदस्यों ने सामाजिक कार्यक्रम में कम से कम कपड़ों का लेनदेन करने तथा समाज के प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रम में ट्रस्ट में 1100 देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ट्रस्ट अध्यक्ष नरसिंहलाल कपूरिया व महामंत्री प्रहलाद पलसानिया ने सभी समाज बंधुओ से सामाजिक कुरीतियों को त्यागने व जाट समाज चौरासी के अध्यक्ष बाबूलाल रुडला ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

धन्ना भगत जन्मोत्सव पर भामाशाह व समाज सुधार प्रेरक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मीर असगर मेहदी पुत्र श्री मीर मोहम्मद आगा, पता Door No. #003, Apt. No. #29/2, Serpenline Street, Near Post Office, Richmond Town, Bangalore North, Museum Road, Bangalore Karnataka 560025 ने छुड्डन खान उर्फ छुड्डन खां पुत्र श्री नूर खां, जाति मुसलमान, निवासी भावगढ बंधा, खानियों का बंधा, खो नागोरियान, जयपुर राजस्थान से ठाम खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित खसरा नम्बर 1428, 1429 की कुल भूमि 0.07 हेक्टेयर का 1/6 भाग 0.0116 हेक्टेयर (0 बीघा 01 बिस्वा) खसरा नम्बर 1414 एवं 1415 की कुल भूमि 0.72 हेक्टेयर (2) बीघा 17 बिस्वा) एवं खसरा नम्बर 1426, 1430 एवं 1461 की कुल भूमि 1.03 हेक्टेयर मे से (1) बीघा 8 बिस्वा) इस तरह कुल उपरोक्त खसरा नम्बर 1428, 1429, 1414, 1415, 1426, 1430 एवं 1461 की क्रमशः 0 बीघा 01 बिस्वा, 2 बीघा 17 बिस्वा, 1 बीघा 08 बिस्वा कुल भूमि 4 बीघा 06 बिस्वा जो वर्तमान रिकॉर्ड के हिसाब से तथा असल विक्रय पत्र में दी गई सम्पत्ति खसरा नम्बर 1414 मे कुए व मकान को छोडकर निम्न है खसरा नम्बर 1428 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.02 हेक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 हेक्टेयर, मे से 1/2 भाग का 1/3 भाग अर्थात कुल रकबा मे से 1/6 भाग एव खसरा नम्बर 1426 रकबा 0.38 हेक्टेयर खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.49 हेक्टेयर और खसरा नम्बर 1461 रकबा 0.16 हेक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1414 रकबा 0.70 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1415 रकबा 0.02 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.72 हेक्टेयर मे से खसरा नम्बर 1428, 1429, 1426, 1430, 1461 की 1 बीघा 8 बिस्वा का तथा खसरा नम्बर 1414 मे कुए व मकान को छोडकर सम्पूर्ण भूमि को खरीदने का इकरार दिनांक 06.07.2024 को निष्पादित किया गया। यह इकरारनामा दिनांक 17.05.2024 को खरीद स्टाम्प पर टाईप किया जाकर दिनांक 06.07.2024 को निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तसदीक करवाकर खरीदना तय किया है। अठिग्म पेटे 1,70,00,000/- रूपये जरिये आर.टी.जी.एस. व नकद छुड्डन व उसके छोटे भाई नवाब को साई पेटे अदा कर दिया है। परन्तु अभी तक छुड्डन खान उर्फ छुड्डन खां द्वारा बार बार निवेदन करने पर भी मेरे अभिभाष्य के हक मे विक्रय पत्र निष्पादित नही किया है। मेरे अभिभाष्य द्वारा बार बार उक्त विक्रेता छुड्डन खान उर्फ छुड्डन खां से निवेदन कर चुका है परन्तु टालमटोल कर रहे है। मेरे अभिभाष्य शेष प्रतिफल अदा कर विक्रय पत्र निष्पादित करवाने के लिए तैयार व तत्पर है। यदि किसी भी व्यक्ति एवं संस्था को इस बाबत् कोई आपत्ति या उज्ज हो तो अपनी आपत्ति सात योम मे मुझको प्रस्तुत करे। समयावधि निकलने के पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपित्त व उज मान्य नही होगा।

(राजेन्द्र कुमार शर्मा) एडवोकेट

शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज

निवाई। जमात में स्थित श्री मनसा पूर्ण बालाजी मंदिर में तीन दिवसीय शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुधवार को श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोचारण के साथ हवन कुण्डों मे आहुतियां दी। जिससे आस-पास को वातावरण गुंजायमान हो गया। बालाजी मंडल अध्यक्ष जीवतराम यादव ने

- वैदिक मंत्रोचारण के साथ हवन कुण्डों मे दी आहुतियां,
- बालाजी महाराज के जयकारों से गुंजायमान हो उठा वातावरण

बताया कि आचार्य पंडित पुरषोत्तम शर्मा के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुधवार को श्रद्धालुओं ने मंत्रोचारण के साथ हवन कुण्डों मे आहुतियां दी। मंत्रोचारण व बालाजी महाराज के जयकारों से आस-पास का वातावरण गुंजायमान हो गया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर गणेश पूजन, मूर्ति स्नान, नवग्रह पूजन, मूर्ति धान्याधिवास, जलाधिवास, घृताधिवास, शर्कराधिवास, पुष्पाधिवास, नित्यार्चन, नवकुण्डीय यज्ञ हवन, मूर्ति अभिषेक, यज्ञ पूजन, भूमि, वेदी पूजन एवं जलशाभिषेक सहित कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि गुरूवार को अभिजीत मुहूर्त में शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रामेश्वर चौहान, अध्यक्ष जीवतराम यादव, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, रामधन चौधरी, प्रेम शर्मा, शंभूदयाल, दानवीर पारीक, शंभू दयाल, रामराय गुर्जर व गोविंद शर्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे।

श्री मनसा पूर्ण बालाजी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर हवन कुण्ड में आहुतियां देते हुए श्रद्धालु।

सम्पत्ति से बेदखल

मैं राधामोहन पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी मुरलीपुरा तह. जिला करौली शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरा पुत्र राहुल मेरे कहे अनुसार नही चलता है। मैंने उसे काफी समझाने के प्रयास किया लेकिन कोई सुधार नही हुआ। इसलिये मेरे पुत्र राहुल को मेरी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ और यदि कोई दीगर व्यक्ति राहुल से किसी प्रकार की लेन देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसेर्स स्टार स्टोन इंडस्ट्रीज, जी 1-200, इंड्रस्टीज एरिया, हिंडौन सिटी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स करौली के पंजीकरण संख्या RF/KRL/2021/627 के तेज सिंह सैनी पुत्र रामजीलाल व प्रहलाद कुमार मित्तल पुत्र रमेश चंद मित्तल, निवासी हिंडौन सिटी पार्टनर है। प्रहलाद कुमार मित्तल अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेच रहे है। दिनांक 19.04.2025 से फर्म में अन्य दो पार्टनर लक्ष्मीकांत शर्मा एवं सुनील कुमार शर्मा पुत्रगण श्री सुरेश चंद शर्मा निवासी हिण्डौन सिटी शामिल हो रहे है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कार्यालय करौली को सूचित करें।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांकः-()जविप्रा/जोन-11/2025/डी-5277 दिनांक 11.03.2025
सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती शोभा भुटानी पत्नी स्व. श्री सुरेश भुटानी द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 150 क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर की लीज होल्ड से फ्री-होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार उक्त सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के आवासीय भूखण्ड संख्या150 क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर की लीजडीड क्रमांक 5289 दिनांक 06.02.2014 को श्री सुरेश भुटानी पुत्र स्व. श्री मोहन लाल भुटानी के पक्ष में जारी की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्रअनुसार श्री सुरेश भुटानी पुत्र स्व. श्री मोहनलाल भुटानी की मृत्यु दिनाक 30.05.2017 को हो चुकी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार श्री सुरेश भुटानी पुत्र स्व. श्री मोहन लाल भुटानी के वारिस (1) श्रीमती शोभा भुटानी (पत्नि) (2) नीरजा अरोडा (पुत्री) (3) निशा आनन्द (पुत्री) (4) नीतू गोंसाई (पुत्री) (5) पूजा पुरी (पुत्री) (6) दीपक भुटानी (पुत्र) है। उक्त वारिसान में से (2) नीरजा अरोडा (पुत्री) (3) निशा आनन्द (पुत्री) (4) नीतू गोंसाई (पुत्री) (5)पूजा पुरी (पुत्री) (6)दीपक भुटानी (पुत्र) द्वारा उक्त भूखण्ड पर अपने हिस्से का हकत्याग जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र क्रमांक 202303182110403 दिनांक 14.09.2023 से श्रीमती शोभा भुटानी पत्नी स्व. श्री सुरेश भुटानी के हक में कर दिया गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड के नाम हस्तांतरण/लीजडीड किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी/संस्था एवं अन्य को आपत्ति हो तो यह सूचना जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/193 चूंकि प्रार्थी श्री RAJESH SHARMA, PLOT NO. B-73, AJMER ROAD, JAIN VIHAR, VAISHALI NAGAR, JAIPUR - 302021 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास बधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास बावलिया सेवा संस्थान, DUKAN NUMBER LG-24, UPASANA BAZAAR, JHOTWARA, JAIPUR-302021, RAJASTHAN, INDIA के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 21-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 30/06/2025

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग जयपुर-प्रथम

फुलेरा बाजार डाकघर को यथावत रखने की मांग

फुलेरा। स्थानीय पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह को पत्र लिखा। कुमावत ने पत्र में बताया कि क्षेत्र के गांधी चौक में स्थित फुलेरा बाजार डाकघर को मुख्य डाकघर पुराना फुलेरा में स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं आगे बताया कि फुलेरा बाजार में संचालित उक्त डाकघर नगर के मध्य स्थित होने से जमा कर्ताओं, पेंशन भोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए सहज, सुलभ एवं सरलता से उपलब्ध है। इसी क्रम में पत्र में आगे बताया कि यदि डाकघर पुराना फुलेरा में स्थानांतरित हो जायेगा तो उपरोक्त डाकघर के खातेदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तथा अधिकतर खातेदार जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग श्रेणी के खातेधारक हैं। उन्हें मजबूरी में खाते बन्द करवाने पड़ सकते है।

रास्तों से अतिक्रमण हटने पर लोगों की सालों से बंद राहें खुली

दौसा। जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार के निर्देशन में जिलेभर में चलाए जा रहे 'रास्ता खोलो अभियान' के तहत बुधवार को भी विभिन्न स्थानों पर कई रास्तों से अतिक्रमण हटाकर लोगों की सालों से बंद राहें खोली।

उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने बताया कि तहसील क्षेत्र कुंडल के ग्राम बडोली के खसरा नंबर 115० गैर मुमकिन रास्ता लंबे समय से बंद था, जिसे आज अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। राजस्व टीम मय जाप्ते के मौके पर पहुंची और रास्ते का सीमा ज्ञान करवाकर खुलवाया। इससे सैकडों परिवारों को राहत मिली है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार हरिकेश मिरोठा, भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का मय जाप्ते उपस्थित रहे।

लवाण उपखंड अधिकारी रविकांत के मुताबिक 'रास्ता खोलो अभियान' के तहत राजस्व टीम लवाण ने पीपल्या चैनपुरा में रास्ता (चरागाह) को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। यह रास्ता खुलने से दारूणया ढाणी के लोगों के लिए आने-जाने की राह सुचारू हो गई। इस दौरान ग्राम पीपल्या चैनपुरा में राजस्व टीम में नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक लवाण-रजवास, पटवारी हल्का खानपुरा, रजवास, खानवास उपस्थित रहे। पुलिस थाना लवाण से पुलिस जाप्ता उपलध्ध रहा। महवा उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा के अनुसार खेडला गदाली के खसरा नंबर 483 एवं 484 गैर मुमकिन रास्ते का अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में राजस्व टीम ने यह कार्यवाही कर ग्रामीणों के लिए आवाजाही की राह आसान की। सिकराय उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार ने बताया कि राजस्व टीम ने कार्यवाही करते हुए पांचोली व रेटा गांवों में रास्तों से अतिक्रमण हटवाया।

जल जीवन मिशन का काम अधूरा, टंकी निर्माण और नल कनेक्शन रुके

पावटा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जवानपुरा में जल जीवन मिशन की योजना ठप पड़ी है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गांव में पानी की टंकी का निर्माण कार्य अधूरा है। इस कारण ग्रामीणों को पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। स्थानीय निवासी मांग कर रहे हैं कि टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही घर-घर में नल कनेक्शन दिए जाएं, जिससे उन्हें स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सके। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से ग्रामीण अब परेशान नजर आने लगे हैं। समय पर पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के साथ-साथ साफ पानी नहीं मिल पाना ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बना है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जवानपुरा के ग्रामीण महिलाओं के साथ सड़क पर उतरे व जवानपुरा-बागावास चौरासी बस स्टैंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248 ए को पूरी तरह जाम कर दिया, इस दौरान प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ग्रामीणजन नाराज हुए, स्थानीय लोगों ने बताया कि नल-जल योजना की पानी की टंकी का काम अधूरा पड़ा, बोरिंग से पाइप लाइन में पानी की आपूर्ति ठप है। जिसे लेकर एनएच 248 ए करीब 2 घंटे तक जाम लगाकर व खाली बर्तन सड़क पर रख अपना विरोध व्यक्त किया। ग्रामीणों कि मांग है कि ग्राम पंचायत जवानपुरा में जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली टंकी का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है जब तक टैंकर द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जाये।

ग्रामीणो ने जाम लगाकर व खाली बर्तन सड़क पर रख अपना विरोध व्यक्त किया।

जनाना हॉस्पिटल स्थापित किए जाने की मांग

देवली । मंगलवार की रात्रि को श्री व्यापार महासंघ की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक श्री व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल की अध्यक्षता में जगदीश धाम में बुलाई गई । जिसमें मौजूद पदाधिकारी एवं सदस्य गणों ने शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की । बैठक मैं अहम मुद्दा यह रहा कि देवली शहर मे घटते व्यापार के ग्राफ को फिर से कैसे संतुलित बनाए जाए इस पर बैठक में निर्णय लिया कि पुरानी कृषि उपज मंडी में मातृ शिशु और कल्याण केंद्र अगर स्थापित हो जाए तो शहर के सभी छोटे बड़े व्यापार में वृद्धि होगी। इसके लिए संघ के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी ने सदस्य गणों के साथ विचार विमर्श किया एवं इसके लिए मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय विधायक विधायक जिला कलेक्टर स्थानीय उपखंड अधिकारी एवं चिकित्सा विभाग को ज्ञापन देन सर्व सहमति बनी । इसके अलावा छतरी चौराहे और जहाजपुर नाके पर पानी भरने की समस्या के समाधान के लिए नगरपालिका और एसडीएम को ज्ञापन दिए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में शहर में सफाई व्यवस्था और नालों की सफाई में सुधार के लिए भी नगरपालिका से बातचीत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, व्यापार महासंघ का पंजीकरण करवाने और शहर में चालान व्यवस्था को बंद कर यातायात व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए प्रयास करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में बताया कि पुलिस द्वारा शहर में चालान काटने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। वही देवली के यातायात व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा श्री व्यापार महासंघ का रजिस्ट्रेशन करवाने एवं पिछले दिनों गांधी पार्क के पास मारुति ईको कार के जलने के मद्देनजर शहर में साफ सफाई व्यवस्था एवं नालों की सफाई करवाने के लिए प्रयास करने पर चर्चा हुई। बैठक में शहर के वरिष्ठ नागरिक रमेश जिंदल,महावीर प्रसाद जैन, दिनेश सर्राफ,उमाशंकर खूंटेटा, बनवारी गुप्ता, बेनी प्रसाद टाक संजय जैन नेमीचंद जैन (संदला)बद्री प्रसाद चौधरी प्रहलाद साहू मनोज सेठी, पार्षद लोकेश लक्ष्कार नोरत नामा आशीष बागड़ी पंकज शर्मा समेत दर्जनों व्यापारी मौजूद थे।

राजस्थान आवासन मंडल, वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 282 **जाहिर आम सूचना** दिनांक: 08.04.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 164/181 (EWS), (एरिया 36.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री सुरेश चन्द सोनी पुत्र श्री लालाराम सोनी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2622 दिनांक 31.12.2002 को जारी किया गया। श्री सुरेश चन्द सोनी द्वारा श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह को दिनांक 12.10.2006 को मुख्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री विरेन्द्र सिंह के द्वारा मुख्यारनामा आम की हैसियत से श्री सुरेश चन्द सोनी के पक्ष में पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक सांगानेर- प्रथम, जयपुर के यहाँ दिनांक 25.05.2009 को पंजीकृत करवाये गये। श्री विरेन्द्र सिंह द्वारा मुख्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 18.06.2009 के द्वारा श्रीमती शारदा कुमावत पत्नी श्री ताराचन्द कुमावत को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर-प्रथम, के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती शारदा कुमावत द्वारा उक्त आवास दिनांक 22.04.2019 को श्रीमती माया देवी पत्नी श्री गोविन्द प्रसाद गौतम को विक्रय कर उप पंजीयक -अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती माया देवी पत्नी श्री गोविन्द प्रसाद गौतम द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती माया देवी पत्नी श्री गोविन्द प्रसाद गौतम का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

भवतीय सम्पदा प्रबंधक वृत्त- प्रथम, राज. आवा. मंडल, जयपुर

विवाधको के स्थरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 नियम 1और 5)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जिला जयपुर
मनोहर सिंह बनाम गोपाल सिंह वगै0
(दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा)

वाद संख्या 18/21 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 12/21 बनाम प्रतिवादी संख्या 4 मीरा देवी पुत्री प्र